न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 8538/2015
GCMS NO. : 2015/00546

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. रामनिवास पुत्र नाथूराम जाति– मेघवाल, निवासी– गांव साबिन तहसील– भोपालगढ़ जिला– जोधपुर।		1. मगनभाई पुत्र बलवंत भाई परमार जाति– हिन्दू चमार, निवासी– सांखरी तहसील व जिला पाटन(गुजरात) 2. तहसीलदार, जैतारण, तहसील–जैतारण।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 तारीख रजू:–24.11.2015

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः–24/08/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किसरहद मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना में सायल एवं गैरसायलन की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे कब्जा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 750 रकबा 04–18 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में सायल अपने 1/2 हिस्से पर एवं शेष दिगर गैरसायल सभी माफिक अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं, जिसे प्रार्थनापत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती है, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर उपरोक्त का अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से रक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है। परन्तु कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित नजरी नक्की में सायल का मार्क एबीसीडी से वर्णित माग सायल का है। जो लाल रंग से दर्शाया गया है। शेष हिस्सा गैरसायलान का है। इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती होने एवं कानूनन बाई मिटस एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा नहीं होने से सायल को अनेको प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें सायल अपनी आराजी में खाद बीज डालना, कुंआ खुदवाने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस का बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक गैरसायलान या अन्य किसी अजनबी व्यक्तियों को सायल की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में गैर कानूनी कृत्य करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस्

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

के बंटवाड़ा नहीं होने से गैरसायलान आये दिन सायल की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी करते है तथा अपनी इच्छानुसार सायल की आराजी में रास्ता को बंद कर दिया तथा उक्त आराजी में जाने का जो राजस्व रेकर्ड में रास्ता था वहां पर भी उन्होंने सिमेंट के पाटियें लगाकर के दिवार बना दी है। इस प्रकार गैरसायलान संख्या एक मैसर्स निरमा लिमिटेड के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मिलकर बिना बंटवाड़ा कराये ही उक्त आराजी मैं गैर कानूनी कृत्य करने को आमादा है। यदि गैरसायलान सायल के हक हिस्से की आराजी में कोई रास्ता निकालते है या मिट्टी पत्थर डालते है या अन्य किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधिया करते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। यदि सायल की आराजी बिना बंटवाड़ा कराये गैर कानूनी कृत्य होता तो सायल अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित होगा। इसलिए सायल का यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का जब तक कानूनन बाई मिटस एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक गैरसायलान उक्त आराजी में किसी प्रकार से मौके की स्थिति को रद्दोबदल करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाब होते है या रास्ता अवरुद्ध कर देते तो मौके पर लड़ाई झगडे होगें, मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स् बढेगी एवं अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। जिससे सायल अपने जायज हक व अधिकारो से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक 20.11.2015 को सायल द्वारा गैरसायलान को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा करने का कहा तो गैरसायलान इन्कार हो गये एवं सायल को धमकी दी कि वो उसे मौके से वेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा लेगे तथा इसमें मिट्टी, पत्थर व मलबा डालकर इसको अनुपजाउ बना देगे तथा उक्त आराजी पर हम अपनी इच्छा अनुसार रास्ता बनायेगे। यदि गैरसायलान अपने उक्त गैर कानूनी कृत्यों में सफल होते है तो सायल अपने जायज हक व अधिकारों से महरुम हो जायेगा तथा गैरसायलान मैसर्स निरमा लिमिटैड के लोगों के साथ मिलकर सायल के आवागमन में भी बाधा अड़चन पैदा कर रह है और वहां पर कच्चा पक्का निमार्ण करने पर भी आमादा है यदि गैरसायलान ऐसे अपने नापाक ईरादो में कामयाब होते है तो सायल अपनी आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर सकेगा एवं अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे सायल को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्याकंन रुपयो में भी नहीं आंका जा सकेगा। गैरसायलान अजनबी व्यक्तियों के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन सायल की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी कर रहे हैं एवं उन्हें बेदखल करने की पुरी कोशिश कर रहे हैं। यदि गैरसायलान अपने इन गैरकानूनी मनसूबे में कामयाब हो जाते है तो सायल अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व कब्जे काश्त एवं मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पर कब्जा के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में रामनिवास पुलिसक प्रमाणित है यदि गैसायलान जबरदस्ती सायल को उसके हक हिस्से कीआराजी से जबरदस्ती बेदखल कर देते हैं या सायल के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लेते है या और अधिक मात्रा में मिट्टी पत्थर, व मलबा डालकर सायल की भूमि में कच्चा या पक्का निमार्ण कर देते है या अनाधिकृत रूप से रास्ता निकाल देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नही किया जा सकता हैं तब सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात के पेश कर निवेदन है कि निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 750 रकबा 04-18 बीघा के 1/2 हिस्से में सायल काशत करे या करावे एवं काश्त के मुतालिक कुल कार्य खड़ाई, बुवाई कटाई करे तो गैरसायलान उनके हाली, एजेन्ट, नौकर चाकर इत्यादि दखल व दस्तन्दाजी नहीं करे, जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे एवं गैरसायलान एवं मैसर्स निरमा लिमिटेड के अन्य अधिकारी व कर्मचारी के साथ मिलकर के सायल के हक हिस्से की भूमि जो नजरी नक्शें में मार्क ए बी सी डी से दर्शाई गई है में किसी प्रकार से कोई मिट्टी, पत्थर, मलबा लाकर नहीं डाले, कच्चा पक्का निमार्ण कार्य नही करे एवं मौके की स्थिति में रदोबदल नहीं करे, तथा कोई रास्ता नहीं निकाले एवं न ही कोंई हस्तक्षेप व बाधा ही पैदा करने ऐसा करने से भी गैरसायलान को जरिये, अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब गैरसायल संख्या 01 मगनभाई पुत्र श्री बलवंत भाई परमार जाति हिन्दू चमार उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम सांखरी तहसील पाटन जिला पाटन (गुजरात) जरिये आम मुख्त्यारधारक भरत मेहता पुत्र श्री अनन्तराय मेहता जाति जैन उम्र 65 वर्ष निवासी 3 बी दिनेश नगर सोसाईटी नारायणपुरा कॉसिंग के पास नारायणपुरा अहमदाबाद की ओर से निम्नानुसार है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि मौजा सिणला में स्थित होने के कथन सही होने से स्वीकार है। साथ ही इस भूमि में जवाब देहन्दा का 1/2 हिस्सा मौके पर जवाब देहन्दा द्वारा खरीद करने के पूर्व से ही अलग से बंटी हुई है। उसी माफिक मौके पर जवाब देहन्दा का कब्जा एवं अधिकार है। नकल जमाबन्दी एवं मौका स्थिति का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे जवाब प्रार्थना पत्र का आवश्यक अंग माना जावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। साथ ही इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 750 की भूमि वर्षो पूर्व से सभी हिस्सोदारो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के बीच आपसी सहमति से अलग अलग बटी हुई है। इसी प्रकार सायल एवं गैरसायल संख्या 01 के बीच उक्त भूमि आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है जिसके अनुसार मौके स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश है। जिसमें जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि को मार्क ए बी सी डी ई एफ से ए दर्शाया गया है तथा उक्त दर्शाये अनुसार ही जवाब देहन्दा का मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार है। साथ ही सायल ने मौके स्थिति के विपरित झूठा नजरी नक्शा बनाकर के पेश किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है व सायल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के माफिक सायल बंटवाड़ा करवाने का कतई अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। साथ ही इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 750 की भूमि वर्षो पूर्व से सभी हिस्सोदारों के बीच आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। इसी प्रकार सायल एवं गैरसायल संख्या 01 के बीच उक्त भूमि आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है जिसके अनुसार मौके स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश है। जिसमें जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि को मार्क ए बी सी डी ई एफ से ए दर्शाया गया है। तथा उक्त दर्शाये अनुसार ही जवाब देहन्दा का मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार है। उसके बावजूद भी सायल ने केवल प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठे तथ्यों का समावेश किया जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। साथ ही इस प्रार्थना पत्र में वर्णित ब्तमीस थ्वखसरा नम्बर 750 की भूमि वर्षो पूर्व से सभी हिस्सोदारों के बीच आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। इसी प्रकार सायल एवं गैरसायल संख्या 01 के बीच उक्त भूमि आपसी सहमति से अन्तम अलग बंटी हुई है जिसके अनुसार मौके स्थिति का नज़री जक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश है। जिसमें जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि को मार्क ए बी सी डी ई एफ से ए दर्शाया गया है तथा उक्त दर्शाये अनुसार ही जवाब देहन्दा का मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार है। उसके बावजूद भी सायल ने केवल प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये मौके पर विवाद होने एवं रास्ता अवरूद्ध कर देने के झूठे आरोप लगाये है मौके पर जवाब देहन्दा ने किसी भी प्रकार का कोई अवरोध सायल के लिये पैदा नहीं किया है इसलिये सायल को क्षति होने के कथन भी कतई गलत है। साथ ही विविध मुकदमें बाजी होने के कथन भी गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन असत्य झूढे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 750 की भूमि वर्षो पूर्व से सभी हिस्सोदारो के बीच आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। इसी प्रकार सायल एवं गैरसायल संख्या 01 के बीच उक्त भूमि आपसी सहमति से जालना अलग बंटी हुई है जिसके अनुसार मौके स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश है। जिसमें जवाब देहन्दा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के कब्जे काश्त की भूमि को मार्क ए बी सी डी ई एफ से ए दर्शाया गया है तथा उक्त दर्शाये अनुसार ही जवाब देहन्दा का मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार है। उसके बावजूद भी सायल ने केवल प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये मौके पर विवाद होने एवं रास्ता अवरुद्ध कर देने के झूठे आरोप लगाये है, मौके परजवाब देहन्दा ने किसी भी प्रकार का कोई अवरोध सायल के लिये पैदा नहीं किया है इसलिये सायल को क्षति होने के कथन भी कतई गलत है। साथ ही विविध मुकदमें बाजी होने के कथन भी गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने अस्वीकार है। साथ ही इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 750 की भूमि वर्षो पूर्व से सभी हिस्सेदारो के बीच आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। इसी प्रकार सायल एवं गैरसायल संख्या 01 के बीच उक्त भूमि आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है जिसके अनुसार मौके स्थिति का नजरी नक्शा बनाकर इस जवाब के साथ पेश है जिसमें जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि को मार्क ए बी सी डी ई एफ से ए दर्शाया गया है तथा उक्त दर्शाये अनुसार ही जवाब देहन्दा का मौके पर कब्जा एवं हक अधिकार है। उसके बावजूद भी सायल ने केवल प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये मौके पर विवाद होने एवं रास्ता अवरुद्ध कर देने के झूठे आरोप लगाये है मौके पर जवाब देहन्दा ने किसी भी प्रकार का कोई अवरोध सायल के लिये पैदा नहीं किया है इसलिये सायल को क्षति होने के कथन भी कतई गलत है। साथ ही विविध मुकदमे बाजी होने के कथन भी गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 20.11.2015 को भी सायल एवं गैरसायल के बीच न तो किसी भी प्रकार की बोलचाल हुई न ही कोई विवाद हुआ उसके बावजूद भी सायल ने गैरसायल के विरुद्ध झूठे आरोप लगाये है। जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायल का थ्मीसंकभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था। न ही वर्तमान में है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायलान ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है।

बहस उभयपक्ष [illegible] बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध बन्टवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कि न्यायालय हाजा में जैरकार है तथा हस्तगत प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त अविभाजित उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि है तथा मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के सम्बध में जब तक सहखातेदारान् के हक हिस्सों का कानूनन विभाजन नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी में से किस सहखातेदार का कौनसा भू भाग है। ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्ट्या मामला स्थापित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- चूंकि पूर्व विवेचित बिन्दु संख्या 01 प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि होने के कारण केवल प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं हो सकता। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि पूर्वविवेचित दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित हुये है साथ ही प्रार्थी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। जबकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा. 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 24/08/2022 को ... इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला-पाली